बेअंत कौर और अन्य बनाम भारत संघ

591

(Dr.Ravi रंजन, जे.)

डॉ. रवि रंजन के सामने , जे.

बेअंत कौर और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ-**2016** का उत्तरदाता एफ. ए. ओ. **No.5320**

12 मार्च, 2019

ए. रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, **1987-**एस. **16-**रेलवे अधिनियम, **1989-S.123** (सी), **124-**ए-सांविधिक क्षतिपूर्ति-एक बार प्रामाणिक यात्री होने पर-इसके हकदार हैं।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि यह घटना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123 (सी) में निहित प्रावधानों के अनुसार एक अप्रिय घटना थी, और इस प्रकार, दावेदार या अपीलकर्ता वैधानिक मुआवजे की राशि के हकदार होंगे। (पैरा 19)

ख. रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, **1990-**लाभकारी विधान-पुरस्कार पारित करने के समय उपलब्ध दरें लागू होंगी-घटना के समय की दरें नहीं।

इसके अलावा, मेरा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को देखते हुए, दावेदार/अपीलकर्ता इस निर्णय की तारीख से दावेदारों या अपीलकर्ताओं को उपरोक्त राशि के भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत के ब्याज के साथ 8 लाख रुपये के मुआवजे की राशि के हकदार होंगे।

(पैरा 20)

सोमेश गुप्ता, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

प्रतिवादी-यू. ओ. आई. की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार।

डॉ. रावी रंजन, जे. ओरल

(1) रेलवे दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ द्वारा मामले No.OA-II/24/2015 में पारित 04.08.2016 दिनांकित फैसले को इस अपील में चुनौती दी गई है।

(2) दावेदार/आवेदक, जो मृतक की विधवा, माता-पिता और नाबालिग बच्चे हैं, ने 592 के तहत दावा आवेदन दायर किया।

रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 16 को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-ए के साथ पढ़ा गया, जिसमें इस तथ्य के कारण 4 लाख रुपये के वैधानिक मुआवजे की मांग की गई कि मृतक की मृत्यु एक अप्रिय घटना में हुई थी, जो एक यात्री ट्रेन में यात्रा करते समय हुई थी। न्यायाधिकरण ने विभिन्न आधारों पर दावे के आवेदन को खारिज कर दिया है।

(3) दावेदारों/अपीलकर्ताओं के अनुसार मृतक-अमरजीत सिंह, जो भारतीय सेना में सिपाही थे, लुधियाना से अपने एक सहयोगी गुरमैल सिंह के साथ ट्रेन No.12414-Dn पूजा एक्सप्रेस में सवार हुए, क्योंकि वे दोनों अपनी ड्यूटी में शामिल होने के लिए अलवर जा रहे थे।मृतक ने अपनी यात्रा के लिए दो कम्प्यूटरीकृत टिकट खरीदे थे।दावा किया जाता है कि जब ट्रेन शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशन के बीच पहुंची तो मृतक दुर्घटनावश ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।गार्ड भरत कुमार ने स्टेशन मास्टर, राजपुरा को सूचित किया कि एक शव मौके पर पड़ा है।ऐसी जानकारी मिलने पर स्टेशन मास्टर, राजपुरा ने जीआरपी, राजपुरा को एक ज्ञापन जारी किया। जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। तलाशी लेने पर दो रेलवे टिकट, एक पहचान पत्र, एक कैंटीन स्मार्ट कार्ड और एक नोकिया मोबाइल बरामद किया गया।जीआरपी कर्मियों ने मृतक के मोबाइल फोन में सेव किए गए नंबर पर मृतक के परिवार के सदस्यों से संपर्क किया।इस तरह की जानकारी मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की।

(4) प्रत्यर्थी-रेलवे ने लिखित बयान दाखिल करके दावा आवेदन का विरोध किया। इसने यह आधार लिया कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-ए के साथ पठित धारा 123 (सी) के तहत परिभाषित किसी भी अप्रिय घटना के कारण मृत्यु नहीं हुई थी और यह भी कि मृतक एक प्रामाणिक यात्री नहीं था। रेलवे ने आगे यह रुख अपनाया कि टिकट बाद में लगाए गए थे। लिखित बयान में यह भी कहा गया है कि चोटों की प्रकृति नीचे गिरने के सिद्धांत को नकारती है क्योंकि ऐसी चोटें केवल तभी संभव हो सकती हैं जब किसी को उसके अपने आपराधिक लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण किसी ट्रेन से कुचल दिया जाए। इसलिए, दावा आवेदन को लागत के साथ खारिज करने का अनुरोध किया गया था।

(5) प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किएः

1. क्या मृतक घटना के समय ट्रेन का एक वास्तविक यात्री था?

2. क्या कथित घटना रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के साथ पठित धारा 123 (सी) (2) के दायरे में आती है?

3. क्या आवेदक मृतक का एकमात्र आश्रित है/हैं?

4. राहत ।

(6) मुद्दे नं.1 और 2, आपस में जुड़े होने के कारण, न्यायाधिकरण द्वारा विचार के लिए एक साथ लिए गए थे।

(7) न्यायाधिकरण ने दावे के आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि ए. डब्ल्यू. 1 बेअंत कौर, यानी मृतक की विधवा, एक चश्मदीद गवाह नहीं है और यहां तक कि टिकट भी उसकी उपस्थिति में नहीं खरीदे गए थे। इसके अलावा, उसने कहा है कि ए. डब्ल्यू. 2 गुरमैल सिंह, जो एक अलग गाँव का निवासी है, ट्रेन से लुधियाना रेलवे स्टेशन आया था ताकि वह अपने पति के साथ यात्रा के लिए ट्रेन में चढ़ सके, हालाँकि, उक्त ए. डब्ल्यू. 2 गुरमैल, जो भारतीय सेना में भी कार्यरत है और अलवर में तैनात है, ने अपनी गवाही में कहा है कि वह गुरदासपुर से 14.08.2014 पर लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर बस से पहुँचा था, जहाँ मृतक पहले से ही मौजूद था और मृतक ने उन दोनों के लिए टिकट खरीदे थे। वे ट्रेन No.12414-Dn पूजा एक्सप्रेस में सवार हुए, लेकिन यह बयान सेना द्वारा की गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट से गलत साबित होता है, जिसे दावेदारों/आवेदकों द्वारा स्वयं रिकॉर्ड में लाया गया है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि AW2 गुरमैल सिंह 2200 बजे जालंधर में ट्रेन में सवार हुए और अमरजीत सिंह 2300 बजे लुधियाना में उसी ट्रेन में सवार हुए। इस प्रकार, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उसकी गवाही विश्वास के योग्य नहीं है। ए. डब्ल्यू. 2 ने आगे कहा है कि पेंट्री बॉय के साथ झगड़े के कारण, वे दूसरे कोच में स्थानांतरित हो गए, जहाँ से पुलिस अधिकारी मृतक को दूसरे कोच में ले गए। वह उक्त डिब्बे में मृतक का इंतजार करता रहा क्योंकि उनका सामान वहां पड़ा हुआ था। कुछ समय बाद वह सो गए और अलवर में जाग गए। रास्ते में उसने मृतक से उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह फोन पर नहीं आया। अलवर पहुँचने के बाद ।उसने कहा है कि पैंट्री वाला व्यक्ति नशे में था और मृतक-अमरजीत सिंह के साथ उसकी बहस हुई थी जिसने उसे थप्पड़ मारा था। पेंट्री वाला व्यक्ति इस मुद्दे को हल करने के लिए जीआरपी वाले व्यक्ति को ले आया। उन्होंने जी. आर. पी. अधिकारियों से पैंट्री वाले व्यक्ति की नशे की हालत के बारे में शिकायत की जो यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। जी. आर. पी. के अधिकारी मृतक को अपने साथ ले गए।

हालाँकि, उन्हें यह नहीं पता था कि जीआरपी के अधिकारी उन्हें किस डिब्बे में ले गए थे।

(8) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायाधिकरण एडब्ल्यू2 के इस कथन से संतुष्ट नहीं था कि उसने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसके सहयोगी को पुलिस कर्मी कहाँ ले जा रहे थे, जांच अधिकारी काका सिंह, हेड कांस्टेबल, जीआरपी, राजपुरा को अदालत के गवाह के रूप में तलब किया गया और पूछताछ की गई।विवादित फैसले में यह दर्ज किया गया है कि आई. ओ. ने कहा है कि उन्होंने फरद जमातालशी में टिकट की बरामदगी के बारे में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन उसके बाद टिकट चिपका दिया था।पहली बार में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मृतक की व्यक्तिगत तलाशी ली थी और पैंट की पिछली जेब में एक पर्स पाया था, जहां से उन्होंने दो टिकट बरामद किए थे, लेकिन उन्होंने पर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, हालांकि, उन्होंने अपनी इच्छा से कहा है कि उन्होंने पहचान पत्र धारक से टिकट बरामद किए हैं।जब अदालत ने पहचान पत्र के बारे में पूछताछ की, तो गवाह ने कहा कि यह फाइल के साथ संलग्न नहीं है क्योंकि इसे मृतक के परिवार को वापस दे दिया गया था, लेकिन वह इसे दिखाने वाली कोई रसीद पेश नहीं कर सका।न्यायाधिकरण ने यह भी पाया है कि जांच रिपोर्ट के पृष्ठों की क्रम संख्या को पृष्ठ 25 से काट दिया गया है, जिसका विवरण नहीं दिया गया है।

(9) उपरोक्त कथन के आधार पर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उसकी गवाही झूठ से भरी हुई है।

(10) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह भी निष्कर्ष निकला है कि आई. ओ. के संदिग्ध बयान के साथ-साथ ए. डब्ल्यू. 2 के बयान के झूठ को देखते हुए, यह समझना होगा कि टिकट बाद में लगाए गए थे।

(11) उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने मामले की सुनवाई की है और इस मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया है।

(12) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने विभिन्न आधारों पर विवादित फैसले पर हमला किया है।यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि टिकट जीआरपी द्वारा व्यक्तिगत खोज से पाए गए हैं, इसलिए न्यायाधिकरण के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई अवसर नहीं था कि मृतक एक प्रामाणिक यात्री नहीं था।यहां तक कि सेना के कर्मियों द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट भी उपरोक्त तथ्य पर विश्वास नहीं कर सकती है और इस तरह, ट्रिब्यूनल के समक्ष एडब्ल्यू 2 द्वारा लिए गए संस्करण और रुख को प्रबल करना होगा क्योंकि यह पूरी तरह से अज्ञात है कि कौन सी सामग्री उपलब्ध है और किस गवाह की रिकॉर्डिंग के आधार पर, सेना प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि एडब्ल्यू 2 और अमरजीत सिंह ट्रेन में सवार और वह नशे की हालत में था ।

जालंधर में ट्रेन और अमरजीत सिंह लुधियाना की ट्रेन में चढ़ते समय नशे की हालत में थे।

(13) प्रत्यर्थी-रेलवे की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह रुख अपनाते हुए विवादित फैसले का जोरदार समर्थन किया है कि एडब्ल्यू2 की गवाही सेना द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट से पूरी तरह से झूठी है और इस प्रकार, यह मान लेना होगा कि टिकट बाद में लगाए गए थे।

(14) इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है।मृतक की विधवा ए. डब्ल्यू. 1 बेअंत कौर ने अपनी गवाही में कहा है कि मृतक का सहयोगी-अमरजीत सिंह अपने पति के साथ लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर गया था।उन्होंने लुधियाना से अलवर रेलवे स्टेशन के लिए दो कम्प्यूटरीकृत रेलवे टिकट खरीदे।इस संस्करण का समर्थन ए. डब्ल्यू. 2-गुरमैल सिंह ने किया है, जिन्होंने कहा है कि वह बस से लुधियाना पहुंचे और फिर मृतक ने दो कम्प्यूटरीकृत टिकट खरीदे जो जी. आर. पी. द्वारा शव की खोज में पाए गए थे। हालांकि आई. ओ. ने कहा है कि उन्होंने फरद जमातालशी में टिकट के बारे में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने दस्तावेज़ पर टिकट चिपकाए हैं।इस प्रकार, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वास्तव में फरद जमातलशी में कोई टिकट नहीं मिला था।उसे पूछे गए एक और सवाल के जवाब में, गवाह ने कहा है कि उसने मृतक की व्यक्तिगत खोज की थी और टिकट पाए थे।न्यायाधिकरण द्वारा इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आई. ओ. ने सबसे पहले कहा था कि उसे मृतक की पिछली जेब में पाए गए पर्स से टिकट मिले थे और फिर उसने यह कहकर खुद को सही किया कि उसे पहचान पत्र धारक से टिकट मिले हैं जो रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसे मृतक के परिवार को वापस कर दिया गया है।मेरे विचार में, ऐसी छोटी विसंगतियों के आधार पर, पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है।चूँकि टिकट वहाँ हैं और चूंकि आई. ओ. ने कहा है कि उसने व्यक्तिगत खोज की थी और टिकट पाए थे, इसलिए यह समझना होगा कि चीजें उस तरीके से हुई हैं जिसे बढ़ाया गया है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

(15) अब, यदि आई. ओ. की गवाही झूठ से भरी हुई है, जैसा कि न्यायाधिकरण ने विवादित फैसले में कहा है, तो पुलिस रिकॉर्ड में टिकट मिलने का क्या स्पष्टीकरण है?उपरोक्त के आधार पर, न्यायाधिकरण द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि टिकटों को पूरी तरह से यह भूलकर लगाया जाता है कि टिकट लगाना धोखाधड़ी करने के बराबर होगा और जो कई प्रश्नों को जन्म देगा, उदाहरण के लिए, यह किसने किया है; जिनके कम्प्यूटरीकृत टिकट, जो 14.08.2014 पर खरीदे गए थे, उन्हें उपलब्ध कराया गया था ताकि यह पुलिस रिकार्ड में दर्ज हो ।

क्या इसे पुलिस रिकॉर्ड में रखा जा सकता है?किस पुलिस कर्मी ने मृतक की विधवा, जो फतेहगढ़ सिबियां गांव की निवासी है और एक गृहिणी है, की मिलीभगत से उसके लाभ के लिए ऐसा किया है और वह पुलिस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का अपराध करके ऐसा जोखिम क्यों उठाएगा?यह भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्य नहीं है कि वह अच्छी स्थिति में है और गलत काम करने के लिए पुलिस विभाग के कर्मियों को जीतने के लिए पैसा खर्च कर सकती थी।यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धोखाधड़ी का विशेष रूप से अनुरोध किया जाना है और फिर साबित किया जाना है।हालांकि लिखित बयान में यह कहा गया है कि टिकट एक लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं है, उदाहरण के लिए, टिकट किसने लगाए थे और साजिशकर्ता कौन थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगाए गए टिकट किसके थे और पुलिस रिकॉर्ड में लगाए जाने के लिए संबंधित व्यक्ति को किसने प्रदान किए थे?यहां तक कि डी. आर. एम. रिपोर्ट में भी इस तरह की किसी बात का खुलासा नहीं किया गया है कि टिकट किसी ने पुलिस रिकॉर्ड में लगाए थे।

(16) बेशक, सेना द्वारा की गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट से पता चलता है कि ए. डब्ल्यू. 2 गुरमैल सिंह जालंधर में ट्रेन में सवार हुए और मृतक अमरजीत सिंह लुधियाना में ट्रेन में सवार हुए, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि ऐसी चीजें किस शर्त पर दर्ज की गई हैं। संबंधित व्यक्तियों की जांच किए बिना और दावेदारों/अपीलार्थियों को उनसे जिरह करने का अवसर दिए बिना, न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष न्यायाधिकरण के समक्ष दर्ज ए. डब्ल्यू. 2 की गवाही को हटाने के लिए कैसे स्वीकार्य होंगे, यह एक और सवाल होगा।

(17) सेना द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक अमरजीत सिंह जब ट्रेन में सवार हुए तो नशे में थे और उनकी एक नागरिक के साथ बहस हुई थी। जीआरपी कर्मी उसे पूछताछ के लिए दूसरे डिब्बे में ले गए लेकिन वह पूछताछ के बाद वापस नहीं आया और उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। हालाँकि, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी इसके बाद पूरी तरह से चुप है। यह दर्ज नहीं किया गया है कि किस परिस्थिति में उनका शव रेलवे पटरी पर मिला था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीआरपी चलती ट्रेन में क्या कर रही थी। जीआरपी को रेलवे स्टेशन पर तैनात किया जाना है। चलती ट्रेन में केवल आर. पी. एफ. कर्मी उपलब्ध होते हैं। भले ही यह माना जाए कि मृतक को आर. पी. एफ. कर्मी ले गए थे और उनके द्वारा पूछताछ के बाद वापस नहीं आया था, फिर भी उसके साथ क्या हुआ था, यह पूरी तरह से अज्ञात है। मृतक को किसी ने ट्रेन से धक्का दिया था या वह ट्रेन से नीचे गिर गया था, यह एक रहस्य है। तीसरी व्याख्या नहीं हो सकती। यहां तक कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट से भी यह स्थापित होता है कि मृतक संबंधित ट्रेन में सवार हुआ था,

यह कैसे माना जा सकता है कि वह एक प्रामाणिक यात्री नहीं था, दूसरा, अगर वह नशे की हालत में था, तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से उस तरह का कुछ भी स्पष्ट क्यों नहीं है?यदि उस तरह का कुछ भी नहीं मिला तो क्या यह माना जा सकता है कि वह नशे की हालत में था?

(18) "भारत संघ बनाम अमरावती देवी" (एफ. ए. ओ. नं.625 2002 का निर्णय लिया गया कि 24.09.2002), यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में लिखा गया हो कि पेट की तरल सामग्री शराब की तरह बदबूदार थी, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि मृतक, जब ट्रेन से नीचे गिरा, तो केवल इसलिए नशे की हालत में था क्योंकि वह शराब की बदबू ले रहा था। जब तक विसरा में अल्कोहल या संबंधित रसायन की पुष्टि करने वाली कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है, तब तक ऐसी कोई बात नहीं मानी जा सकती है। वर्तमान मामले में, स्थिति विपरीत है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस तरह का कुछ भी नहीं लिखा गया है।वास्तव में ए. डब्ल्यू. 2 द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी गवाही में यह रुख अपनाया गया है कि पेंट्री बॉय नशे की हालत में था और उसने मृतक के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया था जिसने उसे थप्पड़ मारा और फिर पुलिस कर्मी आए और उसे ले गए।अब सवाल यह है कि क्या पुलिस कर्मियों ने खुद उसे ट्रेन से धकेल दिया?लेकिन यह भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि रिकॉर्ड

पर ऐसा कोई सबूत नहीं है।ऐसी स्थिति में, एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को उपरोक्त उपस्थित परिस्थितियों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि किसी तरह से वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया क्योंकि ट्रेन में उसकी उपस्थिति दोनों द्वारा स्थापित की गई है, यानी न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही के साथ-साथ सेना के कर्मियों द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट और मृतक के शरीर से तलाशी लेने पर टिकट भी पाए गए थे।फिर, ऐसी परिस्थितियों में, मेरी सुविचारित राय में, न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए गंभीर त्रुटि की है कि वह एक प्रामाणिक यात्री नहीं था।

(19) एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि यह घटना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123 (सी) में निहित प्रावधानों के अनुसार एक अप्रिय घटना थी, और इस तरह, दावेदार/अपीलकर्ता वैधानिक मुआवजे की राशि के हकदार होंगे।

(20) अब एक और सवाल होगा-मुआवजे की राशि क्या होनी चाहिए?दुर्घटना की तारीख को, रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (मुआवजा) नियम, 1990 से जुड़ी अनुसूची के अनुसार उपलब्ध राशि 4 लाख रुपये थी।हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुत प्रसिद्ध निर्णय में

भारत संघ बनाम रीना देवी 1 ने यह विचार रखा है कि क्षेत्र को कवर करने वाला कानून एक लाभकारी है, जो राशि पुरस्कार की तारीख को उपलब्ध होगी, यदि दुर्घटना की तारीख को उपलब्ध राशि से अधिक है, तो ब्याज के साथ, दावेदारों/अपीलार्थियों को भुगतान करने की आवश्यकता होगी।यदि दुर्घटना की तारीख को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की अनुमति दी जाती है और वैधानिक मुआवजे की राशि को 4 लाख रुपये माना जाता है, तो यह निश्चित रूप से उस राशि से कम होगी जो आज उपलब्ध होगी, यानी संबंधित अनुसूची के संशोधन और उपरोक्त नियमों, डब्ल्यू. ई. एफ. के प्रासंगिक प्रावधानों के बाद, जो कि 8 लाख रुपये है।यह स्पष्ट किया जाता है कि रीना देवी (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी स्थिति पर विचार किया है जहां न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की घोषणा की तारीख को संशोधित प्रावधान उपलब्ध था। हालाँकि, मौजूदा दावा में, ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है क्योंकि न्यायाधिकरण ने आवेदक-अपीलार्थियों के मामले को खारिज कर दिया है।क्षतिपूर्ति राशि की अनुमति इस न्यायालय के वर्तमान निर्णय द्वारा दी जा रही है, इस प्रकार, वर्तमान निर्णय की तारीख प्रासंगिक विचार के लिए ली जा रही है।तदनुसार, मेरा मानना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, दावेदार/अपीलकर्ता इस निर्णय की तारीख से दावेदारों/अपीलकर्ताओं को उपरोक्त राशि के भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत के ब्याज के साथ 8 लाख रुपये के मुआवजे की राशि के हकदार होंगे।

(21) नतीजतन, इस अपील की अनुमति दी जाती है और उपरोक्त सीमा तक विवादित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है, हालांकि, पक्षकार अपनी लागत खुद वहन करेंगे।

तेजिंदरबीर सिंह

1 2018 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 40

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला रहेजा

अनुवादक